भारत सरकार

वित्‍त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 79**

(जिसका उत्‍तर 11 दिसम्‍बर, 2018/20 अग्रहायण, 1940 (शक) को दिया जाने वाला है)

**विमुद्रीकरण के तहत अर्जित उपलब्धि**

**79. श्री नीरज शेखरः**

**श्री रवि प्रकाश वर्माः**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या 8 नवम्बर, 2016 को 1000 और 500 रुपये के नोट को वापस लेने की घोषणा सरकार की सबसे बड़ी विमुद्रीकरण योजना थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) यदि नहीं, तो 2018 में विमुद्रीकरण के संबंध में आरबीआई की हाल की रिपोर्ट के मुताबिक आरबीआई को कितने प्रतिशत नोट वापस मिल गए हैं; और

(घ) 8 नवम्बर, 2016 को प्रधान मंत्री द्वारा घोषित विमुद्रीकरण के लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है; और इस संबंध में लक्ष्य-वार क्या-क्या उपलब्धि हासिल हुई है?

**उत्‍तर**

**वित्‍त मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री पोन्. राधाकृष्‍णन)**

(क) जी, हां।

(ख): भारतीय रिजर्व बैंक के पास उपलब्‍ध रिकार्डों में निम्‍नलिखित सूचना है:

|  |  |
| --- | --- |
| विमुद्रीकरण का वर्ष | ब्‍यौरा एवं उसका कारण |
| 1946 | 500 रुपये, 1000 रुपये तथा 10,000 रुपये के मूल्‍यवर्ग के बैंक नोटों को विमुद्रीकृत किया गया था। 11 जनवरी, 1946 को परिचालन में उच्‍च मूल्‍यवर्ग के नोटों के 143.97 करोड़ रुपये में से, 26 जनवरी, 1946 से पूर्व 109.67 करोड़ रुपये के मूल्‍य के नोटों की अदला-बदली की गई थी। 30 जून, 1946 तक अदला-बदली किए गए ऐसे नोटों का कुल मूल्‍य 128.02 करोड़ रुपये था। |
| 1978 | 1000 रुपये, 5000 रुपये तथा 10,000 रुपये के मूल्‍यवर्ग के बैंक नोटों को विमुद्रीकृत किया गया था। विमुद्रीकरण के समय, परिचालन में उच्‍च मूल्‍यवर्ग के नोटों का कुल मूल्‍य 145.42 करोड़ रुपये था। चूंकि अध्‍यादेश 30 जून, 1978 तक लागू था, रिजर्व बैंक को अदला-बदली करने के लिए दिए गए उच्‍च मूल्‍यवर्ग के नोटों की राशि 124.45 करोड़ रुपये थी। |
| 2016 | दिनांक 8 नवम्‍बर, 2016 की स्थिति के अनुसार सत्‍यापन एवं मिलान के पश्‍चात परिचालनरत एसबीएन का कुल मूल्‍य 15,417.93 बिलियन रुपये था। परिचालन से वापिस लिए गए विनिर्दिष्‍ट बैंक नोटों (एसबीएन) का कुल मूल्‍य 15,310.73 बिलियन रुपये है। |

(ग) उपर्युक्त (ख) को देखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

(घ) 500 रुपये तथा 1000 रुपये के वैध मुद्रा की वापसी 8 नवम्‍बर, 2016 को अधिसूचित की गई थी जिसके मुख्‍य उदृदेश्‍य निम्‍नलिखित थे:

1. विनिर्दिष्‍ट बैंक नोटों के जाली करेंसी नोट बड़ी मात्रा में परिचालन में हैं तथा असली बैंक नोटों और जाली बैंक नोटों को आसानी से पहचान पाना मुश्किल पाया गया तथा जाली करेंसी नोटों का उपयोग देश की अर्थव्‍यवस्‍था पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है।
2. उच्‍च मूल्‍यवर्ग बैंक नोट बेहिसाब सम्‍पत्ति के भंडारण के लिए उपयोग किए जाते थे। ऐसा विधि प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा बरामद की गई बड़ी नकदी से साबित हुआ है।
3. जाली करेंसी नशीली दवाओं की तस्‍करी तथा आतंकवादी गतिविधियों के वित्‍तपोषण जैसी विध्‍वंसकारी गतिविधियों के लिए उपयोग की जा रही थी जो देश की अर्थव्‍यवस्‍था तथा सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने का कारण रहा है**।**

विमुद्रीकरण के उपर्युक्‍त उद्देश्‍यों की उपलब्धियां अनुबंध-I में दी गई हैं।

\*\*\*\*\*

**दिनांक 11 दिसम्बर, 2018 के लिए राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 79 के भाग (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध-I**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| क्र.सं. | उद्देश्य | उपलब्धियां |
| i | विनिर्दिष्‍ट बैंक नोटों के जाली करेंसी नोट बड़ी मात्रा में परिचालन में हैं तथा असली बैंक नोटों और जाली बैंक नोटों को आसानी से पहचान पाना मुश्किल पाया गया तथा जाली करेंसी नोटों का उपयोग देश की अर्थव्‍यवस्‍था पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है। | भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की रिपोर्ट 2017-18 के अनुसार, बैंकिंग प्रणाली में 2015-16 के दौरान 6,32,926 अदद, 2016-17 में 7,62,072 अदद तथा 2017-18 में 522,783 अदद जाली बैंक नोटों की पहचान की गई थी। विमुद्रीकरण के कारण 2016-17 में जाली नोटों की पहचान बढ़ी थी तथा फिर 2017-18 में यह तेजी से घटी थी। अत: विमुद्रीकरण के परिणामस्‍वरूप जाली करेंसी पर काबू पाया गया। |
| ii | उच्‍च मूल्‍यवर्ग बैंक नोट बेहिसाब सम्‍पत्ति के भंडारण के लिए उपयोग किए जाते थे। ऐसा विधि प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा बरामद की गई बड़ी नकदी से साबित हुआ है। | राजस्‍व विभाग ने विमुद्रीकरण के बाद उन 17.92 लाख व्‍यक्तियों के बारे में दिनांक 31 जनवरी, 2017 को ‘‘आपरेशन क्‍लीन मनी’’ शुरू किया, जिनका नकदी संबंधी लेनदेन उनके कर विवरण के अनुरूप प्रतीत नहीं हुआ था। प्रभावी निगरानी और अनुपालन के लिए उच्‍च जोखिम वाले मामले फील्‍ड फार्मेशन को उपलब्‍ध कराए गए थे।  रजिस्‍ट्रार ऑफ कंपनीज ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 के अंतर्गत नियत प्रक्रिया का पालन करते हुए दिनांक 19.12.2017 की स्थिति के अनुसार कंपनियों के रजिस्‍टर से ऐसी 2,26,166 कंपनियों के नाम हटा दिए हैं।  नवम्‍बर, 2016 से मार्च, 2017 की अवधि के दौरान, आयकर विभाग ने लगभग 900 समूहों की तलाशी ली थी जिसमें 900 करोड़ रुपये से अधिक की आस्तियां जब्‍त की गई थीं तथा 7,900 करोड़ रुपये से अधिक की अघोषित आय स्‍वीकार की गई थी। इसके अतिरिक्‍त, अप्रैल, 2017 से नवम्‍बर, 2017 की अवधि‍ के दौरान, आयकर विभाग ने लगभग 360 समूहों की तलाशी ली थी, जिसमें 700 करोड़ रुपये से अधिक की आस्तियां जब्‍त की गई थीं तथा 10100 करोड़ रुपये से अधिक की राशि का प्रकटन हुआ था।  विमुद्रीकरण के बाद हालिया वर्षों में आयकर के संग्रहण में भारी वृद्धि तथा कारपोरेट क्षेत्र द्वारा दाखिल विव‍रणियों की संख्‍या में व्‍यापक वृद्धि हुई है तथा दाखिल की गई आयकर विवरणियां भारतीय अर्थव्‍यवस्‍था पारदर्शी अर्थव्‍यवस्‍था की दिशा में व्‍यापक स्‍थानांतरण दर्शाती हैं। |
| iii | जाली करेंसी नशीली दवाओं की तस्‍करी तथा आतंकवादी गतिविधियों के वित्‍तपोषण जैसी विध्‍वंसकारी गतिविधियों के लिए उपयोग की जा रही थी जो देश की अर्थव्‍यवस्‍था तथा सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने का कारण रहा है**।** | 500 रुपये तथा 1000 रुपये के मूल्‍यवर्ग के बैंक नोटों के विमुद्रीकरण से देश में अधिकतर हिंसाग्रस्‍त क्षेत्रों पर महत्‍वपूर्ण सकारात्‍मक प्रभाव पड़ा है। चूंकि गैर कानूनी तरीके से रखी गई नकदी से अधिकांश आतंकवादी गतिविधि‍यों का वित्‍तपोषण होता है, इसलिए विमुद्रीकरण के बाद, आतंकवादियों के पास पड़ी हुई नकदी बेकार हो गई। विमुद्रीकरण से असली दिखाई देने वाले जाली भारतीय करेंसी नोटों की तत्‍काल समाप्ति हुई है। |

\*\*\*\*\*\*